कार्यालय कलेक्टर जिला–डिण्डोरी (म0प्र0)

क्रमांक/नजारत/2015/102 डिण्डोरी,दिनांक 23.11.2015

निविदा सूचना

संयुक्त जिला कार्यालय भवन परिसर मे दो पंहिया/चार पहिया वाहन के पार्किंग हेतु एक वर्ष (11.12.2015 से 10.12.2016 तक) के लिए नीलामी किया जाना है ।

इच्छुक व्यक्ति/नीलामी मे भाग ले सकते हैं, निविदा जमा करने की अतिंम तिथि 04 दिसम्बर 2015 सांय 2 बजे तक है, एवं निविदा उसी दिन सांय 4 बजे खोली जावेगी । नीलामी के पार्किंग शुल्क/शर्तें एवं अन्य विवरण जिले की बेबसाईट WWW.dindori.nic.in मे देख सकते हैं।

कलेक्टर
जिला – डिण्डोरी

कार्यालय कलेक्टर जिला–डिण्डोरी (म0प्र0)

<u>निविदा शर्ते</u>

1. नीलामी एक वर्ष के लिए की जायेगी ।
2. पार्किंग शुल्क केवल निजी वाहनों से लिया जायेगा, जिसका दर निम्नानुसार रहेगा।

1	2	3
दो पहिया मोटर साइकिल/स्कूटर	5.00/–	प्रतिदिन
चार पहिया वाहन	10.00/–	प्रतिदिन

3. शासकीय वाहन/शासकीय कार्य मे संलग्न वाहन से कोई शुल्क नही लेकिन उन्हे व्यवस्थित खड़ा करने एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदा कर्ता की होगी।
4. निजी वाहनों की पार्किंग भी व्यवस्थित तरीके से निर्धारित स्थानों पर ही करानी होगी। साथ ही पार्क वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निविदाकर्ता की होगी।
5. निविदा फार्म रू. 500.00 पांच सौ नगद अथवा डी.डी. ''संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन सहभागिता विकास समिति'' के नाम जमाकर कार्यालय के कक्ष कमांक 12 सदर नाजिर शाखा से प्राप्त किया जा सकते हैं।
6. निविदा के साथ रू. 10000.00 दस हजार रूपये का डी.डी. ''संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन सहभागिता विकास समिति'' के नाम पर जमा करना अनिवार्य है ।
7. निविदाकर्ता के विगत 03 वर्ष का आयकर निटर्न की प्रति स्वहस्ताक्षरित जमा करनी होगी ।
8. निविदाकर्ता को अपना **पेन कार्ड** छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित जमा करनी होगी ।
9. निविदाकर्ता अच्छे चरित्र का होना चाहिये, चरित्र सत्यापन पुलिस से कराया जायेगा।
10. <u>तकनीकी निविदा</u> एक लिफाफे मे रखी जाये जिससे निम्नलिखिंत कागजात रहेंगे।

    1. डिमांड ड्राप्ट
    2. आयकर रिटर्न की छायाप्रति
    3. पेन कार्ड की छायाप्रति

वित्तीय निविदा:– निर्धारित प्रपत्र मे ली जायेगी जो एक अलग लिफाफे मे रहेगी ।

11. तकनीकी निविदा मे सभी शर्तें पूरी करने वाले व्यक्ति की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी ।
12. निविदा स्वींकार/अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर डिण्डोरी का रहेगा।
13. निविदाकर्ता की नीलामी राशि का एक चौथाई राशि अग्रिम मे प्रत्येक तिमाही मे जमा करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा कभी भी बिना सूचना के नीलामी निरस्त की जा सकेगी।
14. सफल निविदाकर्ता को कार्य का एग्रीमेंट कराना होगा ।
15. किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय कलेक्टर डिण्डोरी का होगा ।

कलेक्टर

जिला – डिण्डोरी